प्रेषक,

राजीव भारती,
अपर जिला जज कोर्ट नं0–3,
लखीमपुर–खीरी।

सेवा में,

महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

S.O./A.R.(Admin A-I)/D.R.(M)
Implementation of G.O. dated 13.05.09 & 03.01.12 regarding grant of three advance increments to the Judicial officers on qualification of L.L.M. is pending before Ld. R.G. May await the orders of Ld. R.G.?

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

विषय : प्रथम राष्ट्रीय वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश दिनांकि21–3–02 के अनुपालन मे उ0प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मै वर्तमान समय मे अपर जिला जज के पद पर जनपद लखीमपुर खीरी मे नियुक्त हूँ। मैने उच्चतर न्यायिक सेवा मे दिनांक 15–12–2008 को कार्यभार ग्रहण किया था ।

उ0प्र0सरकार के शासनादेश सं01363/दो–4–09–45 (12)/91टी0सी0नियुक्ति विभाग,4 दिनांक 13–5–09 के अनुसार ऐसे न्यायिक अधिकारियों जिनके द्वारा विधि से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की गयी है,उन्हें तीन अग्रिम वेतन बृद्धियां प्रदान किया जाना है।

मैने वर्ष 1996 मे विधि स्नातक की उपाधि एवं वर्ष 1998 मे विधि स्नातकोत्तर (एल.एल.एम) की उपाधि चौधरी चरण सिंह विश्व विद्यालय मेरठ से प्राप्त की है। मैने उच्चतर न्यायिक सेवा मे पद ग्रहण करने से पूर्व विधि स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर ली थी ।

श्रीमान् जी उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 1705/दो–4–11–45 (12)/91टी0सी0दिनांकित 03–1–12 के द्वारा उक्त तीन वेतन बृद्धियॉ प्रदत्त किये जाने की बाबत शर्तो के अनुरूप प्रार्थी ने दिनांक 31–3–2002 के बाद (15–12–2008) को उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारम्भ की है और उच्चतर न्यायिक सेवा की परीक्षा के आवेदनपत्र मे भी अपनी विधि स्नातकोत्तर उपाधि को दर्शित किया था।

अतः श्रीमान् जी से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार प्रार्थी को 3 अग्रिम वेतन बृद्धियां प्रदान किए जाने के सम्बन्ध मे उचित आदेश पारित किये जाने की कृपा की जाये ।

सादर।

दिनांक–05–03–2012,

भवदीय,
Rajeev Bharti 05/3/2012
(राजीव भारती)
अपर ज़िला जज कोर्ट नं03,
लखीमपुर–खीरी।

संलग्नक
1–शासनादेश दिनांकित 13–5–09की छाया प्रति,
2–शासनादेश दिनांकित 03–1–12की छाया प्रति,
3–विधि स्नातकोत्तर उपाधि की प्रमाणित छाया प्रति,

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर-खीरी
संख्या 241 / I-29-4 दिनाँक 5-3-2012
अग्रसारित
जिला न्यायाधीश
लखीमपुर-खीरी ।

क्रमांक / Serial No. 05-1099

नामांकन सं. / Enrolment No. M-9013836

अनुक्रमांक / Roll No. L558029

Reg'95

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

विधि निष्णात

प्रमाणित किया जाता है कि राजीव भारती को इस विश्वविद्यालय से सन् १९९८ की परीक्षा में **विधि निष्णात** की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्रदत्त की गयी है।

MASTER OF LAWS

This is to certify that Rajeev Bharti *has been conferred the Degree of* **MASTER OF LAWS** *of this University in the Examination of* 1998 *and that he / she was placed in* Second *Division.*

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

Dated 30.06.99

Self Attested 05/3/2012

कुलपति

Vice - Chancellor

Checked By : 1 .....

जांचकर्ता : 2 .....

Countersigned

प्रतिहस्ताक्षरित

Asstt. Registrar/Dy. Registrar (Conf.)

सहा० कुलसचिव/उप० कुलसचिव (गोपनीय)

रजिस्टर्ड

संख्या–1705/दो–4–2011–45(12)/91टी.सी.

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 03 जनवरी,2012

विषय– प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–363/दो–4–2009–45(12)/91टी.सी. दिनांक 13.5.2009 में शेट्टी आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ चयन के समय स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों/अधिकारियों को प्राप्त होगा। फिर भी आपके विभिन्न पत्रों में वांछित 05 बिन्दुओं के संदर्भ में बिन्दुवार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित सारिणी में दिये गये यथोचित उत्तरानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कमांक	मा0 उच्च न्यायालय का प्रश्न	उत्तर
1.	क्या दिनांक 21.3.2002 को स्नातकोत्तर उपाधि धारक सेवारत एवं सेवानिवृत्त सभी न्यायिक अधिकारियों को 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी?	नहीं
2.	क्या दिनांक 21.3.2002 के बाद एलएल.एम. उपाधिधारक न्यायिक अधिकारियों को भी 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।	चयन के समय ही दिनांक 21.3.2002 एवं उसके बाद एलएल.एम उपाधि धारक उक्त अधिकारियों को ही उक्त सुविधा प्राप्त होगी
3.	क्या केवल ऐसे न्यायिक/उच्चतर न्यायिक अधिकारियों को जिन्होंने चयन के समय अपने आवेदन पत्र में जो कि लोक सेवा आयोग एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रस्तुत किया गया था में स्नातकोत्तर उपाधि का जिक किया था उन्हें ही 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी?	जी हॉ।

Reg: 95

4.	क्या 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि ऐसे न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सीधी भर्ती के अधिकारियों को ही देय होगी जो दिनांक 21.3.2002 एवं उसके बाद चयन के समय एलएल.एम. डिग्री रखते थे?	जी हाँ
5.	क्या उक्त शासनादेश संख्या–1363/दो–4–2009–45(12)/91टी.सी. दिनांक 13.5.2009 में प्रदत्त 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि की सुविधा के साथ मंहगाई भत्ता भी देय होगा।	जी हाँ, चूंकि मंहगाई भत्ता वेतन का भाग होता है अतः ऐसे अग्रिम वेतन वृद्धि पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(योगेश्वर राम मिश्र)
संयुक्त सचिव।

Rey-95

संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टीसी

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 13 मई, 2009

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 शेट्टी आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law. We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इससंबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0 प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-वे0आ0-2-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

......2

Regl. 95

संख्या-1363(1)/दो-4-2009-45(12)/91टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि उपर्लिखित शासनादेश के संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0 प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक वित्तीयप्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ
7- सूचना निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ।
8- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0 प्र0,
9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1,2,3, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
13- इरलाचेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ0 प्र0 सचिवालय।
14- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद
15- समस्त जनपद न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- श्री श्रीश कुमार मिश्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, 236 न्यू लायर्स चैम्बर, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
17- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, मा0 उच्चतम न्यायालय (विधि कोष्ठक), 21 राउज एवेन्यू, उर्दू घर मार्ग, नई दिल्ली।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.08 10:37:51 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad